कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : सीई / पी.डब्ल्यू.डी. / एस.ई.(एस.&एस.)डी–   दिनांक

<u>सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005</u>

गृह विभाग (ग्रुप–5) के परिपत्र संख्या 49(23)गृह–5 / 2005 दिनांक 3–10–2005 की पालना में सा0 नि0 विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की पालना में निम्नलिखित कार्यवाही कर ली गई है।

<u>धारा 4(i)(ब) की पालना</u>

उपरोक्त धारा के उप–अनुच्छेद (i) से (vi) (xi) व (xii) की पालना में राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम, सा0नि0वि0 के मैन्युल के भाग I, II, एवं III, प्रदत्त शक्तियां, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन एवं विभाग द्वारा जारी परिपत्रों का पूर्व में प्रकाशन कर दिया गया है।

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय नीति निर्धारण हेतु जन प्रतिनिधियों की राय एवं भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक सलाहकार समिति का गठन इस धारा के उप अनुच्छेद (vii) की पालना में कर दिया गया है।

विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका एवं वेतन का ब्यौरा विभाग में इस धारा के उप अनुच्छेद (ix) एवं (x) की पालना में उपलब्ध हैं।

सा0 नि0 वि0 द्वारा विभाग की सूचनायें वैबसाईट www.raj.com पर उपलब्ध करवा दी गई हैं एवं विभाग के पास सूचनाओं को इलेक्ट्रोनिक रूप में परिवर्तित करने की भी पूरी सुविधा उप–अनुच्छेद (xiv) की पालना में उपलब्ध है।

विभाग के पास नागरिकों को सूचना प्रदान करने हेतु प्रकाशित मैन्युल, सूचना पट्ट, समाचार पत्र, कार्यालयों में अभिलेखों का निरीक्षण एवं अवलोकन, दस्तावेजों की प्रतियां जारी करना, विभागीय वैबसाईट आदि सुविधायें उप–अनुच्छेद (xv) की पालना में उपलब्ध है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सूचना अधिकारियों के पद नाम इत्यादि की अधिसूचना इस धारा के उप–अनुच्छेद (xvi) की पालना में दिनांक 28–9–2005 को प्रकाशित कर दिये गये हैं।

इस धारा के उप–अनुच्छेद (viii) व (xiii) इस विभाग पर लागू नहीं होते हैं।